15.6.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान
से प्राप्त मुकाम मोतीसरा के
पेटा 88 पक्षकारान नोटिस शामिल मिसल
हो बिन्दु सं. 1 से 4 व 6 से 39
तकरकम / शेष बिन्दुओं के भी नोटिस
तामीली रिपोर्ट में है जो साक्ष्य हेतु
अनुपस्थित हैं/ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण
पर किया जा रहा है) जो बिन्दुओं
के हाजिर नहीं होने के कारण भावी
की अवधि स्वीकार किया जाकर विस्तृत
आदेश पृथक से लिखवाया जाकर उद्घोषित
किया और शामिल मिसल किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–पंचायत मुख्यालय मोतीसरा)

पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.135 / 16

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.पीराराम पुत्र गोमाराम		1.आम्बाराम पुत्र रणछा
2.चेनाराम पुत्र गोमाराम		2.खेमाराम पुत्र रणछा
3.ताजाराम पुत्र गोमाराम		3.लुम्बा पुत्र रणछा
जाति भांभी निवासी रामदेवरा		4.गोधुराम पुत्र जुगताराम
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		5.मूलाराम पुत्र जुगताराम
		6.रामाराम पुत्र मांगाराम
		7.रूघाराम पुत्र भगाराम
		8.कंवराराम पुत्र रतनाराम
		9.हरजीराम पुत्र भगाराम
		10.मूलाराम पुत्र तुलछाराम
		11.हुकमाराम पुत्र तुलछाराम
		12.रामाराम पुत्र तुलछाराम
		13.तेजाराम पुत्र तुलछाराम
		14.खेताराम पुत्र तुलछाराम
		15.पेम्पोंदेवी पत्नि तुलछाराम
		16.बींजाराम पुत्र मानाराम
		17.बनाराम पुत्र मानाराम
		18.मंगलाराम पुत्र मानाराम
		19.मोहनलाल पुत्र मानाराम
		20.लेहरो पत्नि मानाराम
		21.उदाराम पुत्र सागर
		22.उमाराम पुत्र छोलाराम
		23.भलाराम पुत्र छोलाराम
		24.धोकलाराम पुत्र छोलाराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पायलां खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 182/3,182/8 कुल रकबा 49–09 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पायलांखुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 182/3,182/8 कुल रकबा 49–09 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थी स.1 से 4 व 6 से 39 के विरूद्व पूर्व मे ही एकतरफा कार्यवाही पारित हो चुकी थी। शेष विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। शेष विप्रार्थी बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व भी एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पायलांखुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 182/3,182/8 कुल रकबा 49–09 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पायलांखुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 182/3,182/8 कुल रकबा 49–09 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पायलांखुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

/3,182/8 कुल रकबा 49–09 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो ...वली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 182/3,182/8 कुल रकबा 49–09 बीधा** भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

15/6/17

(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आंदेश आज दिनांक 15/6/17 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

15/6/17
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner